न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–114/2011/टोंक (2011/00009)

1. नाथूलाल पुत्र किशन, जाति धाकड़, निवासी ग्राम नासिरदा, तहसील देवली, जिला टोंक ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रवण लाल पुत्र सहदेव जाति ब्राहमण, नि0 ग्राम नासिरदा, तहसील देवली जिला टोंक (मृतक) जरिये वारिसानः–
   1/1– नंदकिशोर पुत्र कन्हैयालाल,
   1/2– नारायण पुत्र कन्हैयालाल,
   1/3– गिरीजा देवी पत्नि नाथूलाल,
   समस्त जाति ब्राहमण, निवासी नासिरदा, तह0 देवली, जिला टोंक ।
   1/4– अनुराधा पुत्री कन्हैयालाल पत्नि कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण, निवासी कमला फेक्ट्री बिजयनगर, जिला अजमेर ।
   1/5– रूकमणी पुत्री कन्हैयालाल पत्नि द्वारका प्रसाद, जाति ब्राहमण, नि0 खेड़ा लदाना, तह0 चाकसू, जिला जयपुर ।
2. तहसीलदार, देवली, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंटस

3. रामदयाल पुत्र गंगाराम, जाति धाकड़, निवासी ग्राम नासिरदा, तह0 देवली जिला टोंक ।

तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक दिनांक 13.8.2010 अंतर्गत अपील संख्या 1/2008.

उपस्थितः–

1. श्री रोहित सोनी, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/4 4 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 16.8.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.8.2010 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 संख्या 3 ने अधी0न्याया0 में तहसीलदार, देवली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2007 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बनेडियाखुर्द तहसील देवली में किशना पुत्र हरदेवा धाकड़, जमना पुत्र बाला ब्राहमण, बद्री पुत्र श्योनारायण ब्राहमण, निवासी नासिरदा बहिस्सा बराबर संयुक्त खातेदारी में 19 बीघा 1 बिस्वा भूमि दर्ज थी, इसमें किशना के बाद नाथू, हुक्मा, लक्ष्मीनारायण पि0 किशना, जमना के बाद गजानंद एवं नाथी तथा ब्रदी के बाद उसकी पुत्रियां हरजू, केली के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई । गजानंद एवं नाथी ने अपना हिस्सा देवी पुत्र छीतर, रामकरण पत्र चतुर्भुज कुम्हार को विक्रय कर दिया जिसके आधार पर उनका नामा राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया । हरजू, केली पुत्रियां बद्रीलाल के नाम अंकित हिस्से के संबंध में रेस्पो0 संख्या 1 ने तहसीलदार, देवली के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.1.2004 को पेश किया तथा बताया कि उनके हिस्से की जमीन को वसीयत के आधार पर उसके नाम दर्ज की जावे। रेस्पो संख्या 1 ने तहसीलदार के समक्ष न तो वसीयत पेश की एव ंना ही सिद्ध करवाई इसके बावजूद तहसीलदार, देवली ने सीधे ही रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 4.2.2004 को राजस्व रिकार्ड में हरजू व केली के स्थान पर नाम अंकन करने का आदेश दे दिया। उक्त आदेश को अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष चुनौती दी जिसे न्यायालय हाजा ने दिनांक 10.8.2006 को निर्णय पारित कर तहसीलदार, देवली का पूर्व निर्णय दिनांक 4.2.2004 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः जांच कर सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने के लिये तहसीलदार, देवली को प्रतिप्रेषित किया । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत तहसीलदार, देवली ने अपने पूर्व निर्णय दिनांक 4.2.2004 को यथावत् रखते हुए उनके निर्णय दिनांक 12.11.2007 से नामांतकरण संख्या 526 दिनांक 23.10.2006 को विधिक माना । अतः निर्णय दिनांक 12.11.2007 को अपास्त किया जावे । विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक ने अपील दर्ज कर उभयपक्ष को सुनकर निर्णय दिनांक 13.8.2010 द्वारा अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर पत्रावली तहसीलदार, देवली को इस आक्षेप से रिमाण्ड की गई कि प्रकरण के क्रम में वस्तुस्थिति जांच कर, दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करे । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने तथा अधी0न्याया0 की पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने तहसीलदार, देवली के आदेश दिनांक 12.11.2007 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार, देवली को प्रतिप्रेषित किया है जबकि पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण

तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किये जाने के बावजूद तहसीलदार ने अपने पूर्व निर्णय दिनांक 23.10.2006 को यथावत् रखा है । तहसीलदार, देवली ने निर्णय दिनांक 23.10.2006 द्वारा नामांतकरण संख्या 526 निर्णित किया जो अपंजीकृत वसीयत के आधार पर निर्णित किया है जबकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपंजीकृत वसीयत को सक्षम न्यायालय से प्रोबेट कराये बिना रेस्पो0 के पक्ष में वसीयत के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 तहसीलदार के समक्ष वसीयत को किसी भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से भी प्रमाणित नहीं कराया है इसके बावजूद तहसीलदार ने वसीयत के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण संख्या 526 को यथावत् रखने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर को प्रकरण तहसीदलार,`देवली को प्रतिप्रेषित करने के बजाय अपंजीकृत वसीयत के आधार पर तस्दीक नामांतकरण संख्या 526 आदेश दिनांक 23.10.2006 को अपास्त करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है। रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपंजीकृत वसीयत को अटेस्टिग अथोरिटी के समक्ष वसीयत की प्रमाणिकता को सिद्ध कराये बिना अपंजीकृत वसीयत केवल मात्र वेस्ट पेपर है जिसके आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रकरण को तहसीलदार को प्रतिप्रेषित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, देवली का निर्णय दिनांक 13.8.2010 एवं तहसीलदार, देवली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2007 अपास्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 13.8.2010 की जानकारी अपीलांट को समय पर नहीं हो सकी थी जिससे अपीलांट समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर पाया था । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांटस की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है। वैसे भी मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियार शुमार की जाती है ।

6- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का अवलोकन किया एवं अपीलांट अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मुख्य विवाद

श्योनारायण के 1/3 हिस्से की आराजियात को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद है । रेस्पो0 संख्या 1 ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 12.1.2004 को पेश कर हरजु व केली पुत्रियां बद्रीलाल के नाम अंकित आराजियात अपंजीकृत वसीयत के आधार पर स्वंय के नाम दर्ज करने का निवेदन किया था जिस पर तहसीलदार, देवली ने आदेश दिनांक 4.2.2004 को राजस्व रिकार्ड में हरजू व केली के स्थान पर रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये । उक्त आदेश को अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक के न्यायालय में अपील संख्या 11/2006 पेश की जो निर्णय दिनांक 10.8.2006 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः तहसीलदार, देवली को प्रतिप्रेषित किया गया । तहसीलदार, देवली ने प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत निर्णय दिनांक 12.11.2007 द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 4.2.2004 को यथावत रखा । तहसीलदार, देवली के निर्णय दिनांक 12.11.2007 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, टोंक के न्यायालय में अपील पेश की गई जिसे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, टोंक ने आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार, देवली को रिमाण्ड की है । अधी0न्याया0 के इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलांट ने विवादित आराजियात का अपंजीकृत इकरारनामा/लिखावट दिनांक 15.6.1975 व लिखावट दिनांक 19.2.1991 के आधार पर अपील प्रस्तुत की है ।

7- अधी0न्याया0 तहसीलदार, देवली द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में अपंजीकृत वसीयत के आधार पर विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है क्योंकि अपंजीकृत वसीयत को रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध नहीं कराया गया है तथा ना ही राजस्व न्यायालय को वसीयत के विनिश्चयन का अधिकार ही है । रेस्पो0 संख्या 1 अपंजीकृत वसीयत को सिविल न्यायालय से प्रोबेट कराये बिना वसीयत के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता था । अधी0न्याया0 तहसीलदार, देवली ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर विवादित आराजियात अपंजीकृत वसीयत के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । पत्रावली एवं अधी0न्याया0 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट भी अपंजीकृत लिखावट के आधार पर अपील में आये है एवं तथाकथित लिखावट दिनांक 19.2.1991 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त लिखावट इकरारनामा है ना कि विक्रय पत्र । इकरारनामे के आधार पर राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत अपील भी पोषणीय नहीं है । अधी0न्याया0 ने भी अपने निर्णय में इस संबंध में कोई विवेचन नहीं किया है । अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 सक्षम न्यायालय से इकरारनामा एवं अपंजीकृत वसीयत के आधार पर अपने हक अधिकार तय कराये बिना नामांतकरण की समरी कार्यवाही के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है । तहसीलदार को वसीयत

के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में नामांतकरण की कार्यवाही के बजाय हरजू व केली के विधिक वारिसान की जांच कर विधिक वारिसान के नाम नामांतकरण कार्यवाही करनी चाहिये थी ना कि अपंजीकृत वसीयत के आधार पर । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार, देवली द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 4.2.2004, 12.11.2007 को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

8- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.8.2010 एवं तहसीलदार, देवली द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 4.2.2044 एवं 12.11.2007 अपास्त योग्य एवं प्रकरण तहसीलदार, देवली को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 114/2011 (2011/00009) बउनवानी नाथूलाल बनाम श्रवणलाल को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 1/2008 बउनवान नाथूलाल बनाम श्रवणलाल में पारित निर्णय दिनांक 13.8.2010 एवं तहसीलदार, देवली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.2.2004 एवं 12.11.2007 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 तहसीलदार, देवली को निर्णय में दिये गये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान के अलावा मृतक खातेदार हरजू व केली के विधिक वारिसान की जांच कर विधिक वारिसान के पक्ष में नामांतकरण की कार्यवाही करे तथा मृतक खातेदार के विधिक वारिसान नहीं पाये जाने की स्थिति में विवादित आराजियात को राजगामी घोषित करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करे । अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 अपने पक्ष में निष्पादित अपंजीकृत इकरारनामा एवं अपंजीकृत वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय से स्वंय के पक्ष में टाईटल घोषित कराकर अनुतोष प्राप्त करने को स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति तहसीलदार, देवली को पृथक से प्रतिप्रेषित की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 16.8.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर